



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072026-274263
CG-DL-E-08072026-274263

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3505]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2026/आषाढ 16, 1948

No. 3505]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2026/ASHADHA 16, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2026

का.आ. 3667(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 5411(अ) तारीख 26 नवम्बर 2025, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 26 नवम्बर 2025, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में तेल पदार्थ परिवहन के 8"Ø एम.पी.वैल फ्लूड लाइन, 8"Ø एल. पी. गैस लाइन और 6"Ø डिस्पैच लाइन जी. एस नाडा से जी.जी एस. जी.एन.ऐ.क्यू. तक ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा गुजरात राज्य में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी |

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 27-11-2025 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ;

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी |

अनुसूची

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वे नं/ ब्लॉक संख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आर	वर्ग मीटर
8"Ø एम.पी.वैल फ्लूड लाइन, 8"Ø एल. पी. गैस लाइन 6"Ø डिस्पैच लाइन जी. एस नाडा से जी. जी एस. जी. एन. ऐ. क्यू.					
तालुका : जंबुसर		ज़िला : भरूच	राज्य : गुजरात		
1	आसरसा	267	00	06	00
		262/1	00	07	62
		261	00	01	04
		254	00	02	72
		257	00	01	44
		255	00	07	42
		256	00	07	42
		192	00	03	74
		154	00	02	77
		488	00	05	59
		490	00	07	33
		491	00	01	14
		560	00	24	27
2	इस्लामपुर	330/अ/ब	00	05	08
		324	00	07	10
		403	00	04	80
		408	00	05	20
		411	00	04	30
3	कपुरिया	213	00	05	25
		184	00	05	11
		183	00	08	09
		182	00	08	05
		128	00	03	15

4	नाडा	1223	00	09	23
		1105	00	00	44
		1123	00	02	18
		1030	00	03	18
		959	00	04	25
		958	00	01	19
		968	00	04	41

[फा. सं. इएक्सपीएल-13011(26)/39/2025-इएक्सपीएल-पीएनजी(ई-54638)]

रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2026

S.O. 3667(E).— Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S. O. No. 5411 (E) dated 26.11.2025 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra-ordinary Gazette of India dated 26.11.2025, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through **8"Ø MP Well Fluid Line, 8" Ø LP Gas Line and 6"Ø Dispatch Line From GGS Nada To GGS GNAQ** Pipeline in the State of Gujarat by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to the 27-11-2025.

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to Government of India.

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Oil and Natural Gas Corporation Ltd., free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Ltd, Shall be exclusively liable For any Compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act,1962 and no suit, claim of legal Proceeding would lie against the central government of any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Sl.No.	Name of the Village	Survey No.	Area		
			Hect	Are	Sq.Mt.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8" Ø MP Well Fluid Line , 8" Ø LP Gas Line and 6"Ø Dispatch Line From GGS Nada To GGS GNAQ					
TALUKA : JAMBUSAR		DISTRICT : BHARUCH		STATE : GUJARAT	
1	ASARSA	267	00	06	00

		262/1	00	07	62
		261	00	01	04
		254	00	02	72
		257	00	01	44
		255	00	07	42
		256	00	07	42
		192	00	03	74
		154	00	02	77
		488	00	05	59
		490	00	07	33
		491	00	01	14
		560	00	24	27
2	ISLAMPUR	330/A/B	00	05	08
		324	00	07	10
		403	00	04	80
		408	00	05	20
		411	00	04	30
3	KAPURIA	213	00	05	25
		184	00	05	11
		183	00	08	09
		182	00	08	05
		128	00	03	15
4	NADA	1223	00	09	23
		1105	00	00	44
		1123	00	02	18
		1030	00	03	18
		959	00	04	25
		958	00	01	19
		968	00	04	41

[F. No. Expl-13011(26)/39/2025-EXPL-PNG (E-54638)]

REGHURAM KRISHNA, Under Secy.